41–(08)–12–2017

पटना में दिनांक–10 अक्टूबर, 2017 मंगलवार को अपराह्न 04:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	जल संसाधन विभाग	
1.	आंजन (कुकुरझप) जलाशय योजनांतर्गत बायां मुख्य नहर, बेलिया मुख्य नहर एवं इनसे निःसृत वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य (प्राक्कलित राशि 3916.03 लाख (उनचालीस करोड़ सोलह लाख तीन हजार रूपये मात्र)) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	1. स्वीकृत।
	जल संसाधन विभाग	
2.	खड़गपुर झील सिंचाई योजनांतर्गत खड़गपुर झील का डिसिल्टेशन तथा इसके मुख्य बांध, इससे निःसृत उत्तरी मुख्य नहर, दक्षिण मुख्य नहर एवं वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य (प्राक्कलित राशि 8706.90 लाख (सतासी करोड़ छः लाख नब्बे हजार रूपये मात्र)) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	2. स्वीकृत।
	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
3.	बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) नियमावली, 2017 की स्वीकृति के संबंध में।	3. स्वीकृत।
	वाणिज्य–कर विभाग	
4.	माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लु०जे०सी० संख्या–12518/1992 सूर्यदेव प्रसाद तिवारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–7029/2009 में दिनांक–28.04.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु बिहार वित्त सेवा के सेवानिवृत्त वाणिज्य–कर अपर आयुक्त श्री सूर्यदेव प्रसाद तिवारी को दिनांक–01.09.1990 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.1991 तक लोक उद्यम ब्यूरो में विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर किये गये कार्य के फलस्वरूप वेतनमान् (रू०–5900–6700) में वेतनादि एवं तदनुसार सेवान्त लाभों के निर्धारण के संबंध में।	4. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

5. विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, डिहरी–ऑन–सोन में प्रस्तावित भवनों के निर्माण कार्यों का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू० 1975.25 लाख (उन्नीस करोड़ पचहत्तर लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र का प्रथम पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित योजना लागत रू० 2698.11 लाख (छब्बीस करोड़ अंठानवे लाख ग्यारह हजार रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। — 5. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

6. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–66 के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

वित्त विभाग

7. वित्त विभागीय संकल्प संख्या– 2480, दिनांक– 31.03.2017 द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों के आवासीय कार्यालय हेतु स्वीकृत एवं उपलब्ध कराये गये इलेक्ट्रोनिक उपकरण के जीवनकाल एवं उनके Depreciation Cost में संशोधन के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

वित्त विभाग

8. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के विभिन्न भत्तों के वर्त्तमान दरों में संशोधन के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

वित्त विभाग

10. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा प्रतिवेदन (Volume-II) के आलोक में राज्य वेतन आयोग के प्रतिवेदन (Volume-I) में कतिपय छूटे हुए पदों के पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति एवं कतिपय टंकण त्रुटि के निराकरण के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

11. बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन अधिसूचनाओं के निर्गमन के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

14. लघु खनिजों हेतु नई लघु खनिज नियमावली, 2017 का अनुमोदन। — 14. स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

15. खान एवं खनिजों के बेहतर प्रबंधन हेतु गठित बिहार राज्य खनन् निगम लिमिटेड (Bihar State Mining Corporation Limited) के संचालनार्थ प्रारंभिक पूँजी (Paid-up Capital) 2000 (दो हजार) लाख रूपये की राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

16. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) योजना के अंतर्गत गठित बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्रबंध सोसाईटी (BGCMS) कार्यालय के लिए संविदा आधारित स्वीकृत 32 पदों के विरूद्ध आवश्यकता आधारित पदों पर Consultancy के माध्यम से Professionals की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति। 16. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

17. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों को आरक्षण के संबंध में। 17. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

18. गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा अधिसूचित दूरसंचार अधीनस्थ पदाधिकारी (प्रचालक), भर्ती, प्रोन्नति एवं संवर्ग नियमावली, 1989 एवं 2009 के नियम सं०–7 में संशोधन करते हुए दूरसंचार अधीनस्थ पदाधिकारी (प्रचालक), भर्ती, प्रोन्नति एवं संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। 18. **स्वीकृत।**